कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष– भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एफ- 10/बजट/205/ 3400 भोपाल, दिनांक 5-10-10

प्रति

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त वन संरक्षक एवं पदेन वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)
3. समस्त वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय)

मध्यप्रदेश

विषयः–कैम्पा मद से वनीकरण एवं अन्य कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

विषयान्तर्गत कैम्पा मद से क्षतिपूरक एवं अन्य वनीकरण की स्वीकृत योजनाओं में कराये जाने वाले कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति, रोपण की तकनीकी गुणवत्ता के लिये समय–समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया जाना अत्यावश्यक है, इस उद्देश्य से कैम्पा मद से उपलब्ध कराई गई राशि से कराये जाने वाले समस्त रोपण के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिये निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

स्थल सीमांकन

1. चयनित स्थल का सीमांकन पी0डी0ए0 से कराया जाये तथा उसे डिजिटल वन मानचित्र पर भी दर्शाया जाये। सीमांकित क्षेत्र के चारों ओर कम से कम 5 से 10 विभिन्न स्थानों पर अक्षांश एवं देशांतर की रीडिंग ली जाये जिससे भविष्य में वास्तविक समय (Real Time) में अनुश्रवण एवं मूल्यांकन में सुविधा रहे। स्थल पर कार्य का विवरण एवं मानचित्र दर्शाने वाला बोर्ड लगाया जावे। 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र हेतु उपवनमंडलाधिकारी एवं 5 हे. से अधिक क्षेत्र हेतु वनमंडलाधिकारी द्वारा रोपण के लिये स्थल की उपयोगिता एवं उपयुक्तता बाबत् प्रमाण–पत्र जारी किया जावे। रोपित किए जाने वाली प्रजातियों का चयन वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्लांटेशन जर्नल में इस प्रमाण पत्र की स्वच्छ प्रति भी लगाई जावे। प्रमाण–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

स्थल फोटोग्राफ

2. चयनित स्थल का क्षेत्र तैयारी के पूर्व, रोपण के समय एवं रोपण के पश्चात फोटोग्राफ्स लेने के लिये निश्चित स्थान चिन्हित किये जायें। प्रत्येक 5 हे. के क्षेत्र हेतु एक स्थल निर्धारित किया जाये तथा इसी चिन्हित स्थल से एक ही angle से प्रत्येक बार डिजिटल कैमरा से क्षेत्र का वर्ष में एक बार फोटोग्राफ लिया जाये, जिससे क्षेत्र में हुये परिवर्तन की तुलना की जा सके। रोपण के पश्चात वर्ष में एक बार यथा अक्टूबर के प्रथम/द्वितीय सप्ताह में फोटोग्राफ लिये जावें। फोटोग्राफ लेने एवं तिथिवार उसे प्लान्टेशन जर्नल में लगाने का दायित्व परिक्षेत्र अधिकारी का होगा।

- 54 -

उपचार मानचित्र

3 रोपण क्षेत्र का रकवा यदि 50 हे. से कम है तो उपचार मानचित्र 1 : 4000 तथा यदि रकवा 50 हे. से अधिक है तो 1:15000 के स्केल पर तैयार किया जाये तथा उसमें प्रत्येक कार्य का विवरण दर्शाया जाये। मानचित्र की प्रति प्लान्टेशन जर्नल में भी लगाई जाये।

लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उत्तरदायित्व

4.1 वनमण्डलाधिकारी प्रत्येक स्थल पर विशेष ध्यान देते हुए संबंधित बीट गार्ड एवं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी को परियोजना की पूर्ण जानकारी देंगे। बीट गार्ड एवं परिक्षेत्र सहायक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे योजना के अनुसार समस्त कार्य मानक गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदंड एवं प्रोजेक्ट के अनुसार पूर्ण करावें। मानक गुणवत्ता एवं तकनीकी मापदण्ड से कार्यकारी कर्मचारियों को लिखित में अवगत कराया जावे।

4.2 समस्त कार्य मानक तकनीकी गुणवत्ता, शासन/विभाग के निर्देशों एवं प्रोजेक्ट के अनुरूप पूर्ण कराने, कार्यो के भौतिक मात्रा पर पूर्ण नियंत्रण रखने, स्थल पर समस्त सामग्री एवं मजदूरों की आवश्यक व्यवस्था का उत्तरदायित्व परिक्षेत्र अधिकारी का रहेगा। परिक्षेत्र अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि कार्यो के समस्त अभिलेख जैसे – मस्टर रोल, माप पुस्तिका, प्लांटेशन जर्नल इत्यादि मौके पर कार्य के दौरान/ अधिकारियों के प्रवास के दौरान उपलब्ध रहें तथा उनमें प्रविष्टियॉ अद्यतन हो।

4.3 मौके पर प्रोजेक्ट के अनुसार समस्त कार्य पूर्ण कराने तथा तकनीकी एवं भौतिक दृष्टि से मानक गुणवत्ता बनाये रखने का उत्तरदायित्व संबंधित उप वनमण्डलाधिकारी का रहेगा।

4.4 योजनाओं में प्रोजेक्ट अनुसार वित्तीय नियंत्रण संबंधित वनमण्डलाधिकारी का रहेगा। वनमण्डलाधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन करते हुये समस्त आवश्यक सामग्री क्रय की जाये। सामग्री की गुणवत्ता एवं मापदण्ड अनुसार क्रय करने का उत्तरदायित्व वनमण्डलाधिकारी का रहेगा। मौके पर कार्य की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता बनाये रखने का पूर्ण उत्तरदायित्व वनमण्डलाधिकारी का रहेगा।

4.5 संबंधित क्षेत्र के मुख्य वन संरक्षक या वन वृत्त के भारसाधक अधिकारी समय–समय पर क्षेत्र में जाकर कार्यो की गुणवत्ता एवं उसके मूल्यांकन की व्यवस्था करेगें तथा मानक गुणवत्ता का कार्य सुनिश्चित करायेगें। वनमण्डल के वार्षिक कार्यालय के निरीक्षण के दौरान समस्त अभिलेखों में प्रविष्टियों का परीक्षण करेंगे। कार्यालय निरीक्षण के दौरान भण्डार क्रय नियमों के अनुसार सामग्री क्रय करने की कार्यवाही का भी परीक्षण किया जाये।

समय--सारणी

5.1 प्रोजेक्ट के कार्यों का मूल्यांकन प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, पांचवे वर्ष एवं एवं प्रोजेक्ट पूर्ण होने पर किया जावेगा, जिसमें कराये गये कार्य की भौतिक मात्रा एवं जीवित पौधों का प्रतिशत तकनीकी मापदण्ड का सत्यापन वृत्त/मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

5.2 प्रत्येक प्रोजेक्ट में कराये गये कार्य का 100 प्रतिशत मूल्यांकन परिक्षेत्र अधिकारी, 50 प्रतिशत उपवनमंडलाधिकारी एवं 20 प्रतिशत वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष किया जावेगा। वनमंडलाधिकारी स्तर पर कराये गये मूल्यांकन में रोपित पौधों का प्रजातिवार जीवितता प्रतिशत एवं बढ़त भी ज्ञात किया जावे।

क्षेत्र की सुरक्षा

6. योजना क्षेत्र की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके लिए संबंधित क्षेत्र की संयुक्त वन प्रबंध समिति की मदद ली जावे। क्षेत्र की सुरक्षा से घास आदि उत्पाद प्राप्त होते हैं तो उसे सुरक्षा करने वाली समिति में उसके वितरण की व्यवस्था शासन निर्देशानुसार की जायेगी तथा उसका अभिलेख भी रखा जायेगा।

पौधों की जीवित प्रतिशतता ज्ञात करना

7.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वनीकरण योजनाओं के पूर्ण होने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि रोपित पौधों में से कम से कम 75 प्रतिशत स्वस्थ पौधे जीवित रहें अर्थात् 4 रोपित पौधों में से कम से कम 3 पौधे जीवित रहें।

7.2 जीवित पौधों की संख्या ज्ञात करने के लिये पौधों की गिनती 10 प्रतिशत सैम्पल के आधार पर की जाऐगी। गिनती प्रथम कतार से प्रारंभ की जाए और उसके बाद 11वीं कतार, 21वीं कतार और इसी प्रकार आगे की कतारों में की जाए, जिस कतार को चुना जाए उस कतार के समस्त पौधों की गिनती की जाए ।

7.3 स्वरथ पौधे की पहचान है कि वह किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित न हो और समय के साथ पर्याप्त ऊँचाई प्राप्त करें, इसके लिए पौधे की ऊँचाई भी नापी जाए । पौधे की ऊँचाई की नाप 1 प्रतिशत सैम्पल के आधार पर की जाएगी। जिस कतार में पौधे की गिनती की जा रही है उसी कतार में प्रत्येक 10 वें पौधे की ऊँचाई नापी जाए। उदाहरण¡के लिए यदि किसी कतार में पहले पौधे की ऊँचाई नापी गई है तो 11 वें, 21 वें और इसी प्रकार आगे के पौधों के ऊँचाई नापी जाए ।

प्रतिवेदन मुख्यालय प्रेषित करना

8.1 पौधों की गिनती करने एवं ऊँचाई नापने की कार्यवाही प्रोजेक्ट अवधि तक कंडिका 5 में समय सारणी अनुसार माह अप्रैल में करके जानकारी संलग्न अनुलग्नक –1 में रखी जाये। संबंधित वनमण्डलाधिकारी, संलग्न अनुलग्नक–2 में प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) को प्रतिवर्ष दिनांक 31 मई तक भेजना सुनिश्चित करेंगे ।

8.2 पौधों की गिनती की प्रक्रिया का नमूना चित्र, अनुलग्नक –1, का भरा हुआ नमूना भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

मुख्यालय स्तर से कार्यवाही

9.1 समस्त वृत्त प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक अपने प्रभार के वृत्त में प्रवास के दौरान समय–समय पर कैम्पा मद से विमुक्त राशि कराये जाने वाले कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगें।

9.2 प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा मुख्यालय के अधिकारियों से समय–समय पर अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य कराया जावेगा।

9.3 कैम्पा मद से कराये गये कार्यो का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आवश्यकतानुसार बाह्य संस्था जैसे I.I.F.M., S.F.R.I., T.F.R.I. इत्यादि से भी कराया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुये वनीकरण योजनाओं की सफलता एक आदर्श माडल के रूप में सुनिश्चित की जाये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाये जाने पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

4/10

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांक/एफ–10/बजट/205/ 3401 भोपाल, दिनांक 5-10-10

प्रतिलिपिः–समस्त वृत्त प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश

रोपण क्षेत्र चयन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र का दिनांक ..... को निरीक्षण किया गया एवं क्षेत्र को प्रजातियों ..... , ... , ... एवं ..... के रोपण एवं सुरक्षा तथा अन्य समस्त मापदण्डों के अनुरूप उपयुक्त पाया गया।

परिक्षेत्र अधिकारी **वन मंडलाधिकारी**

अनुलग्नक–1

वन वृत्त .....

वनमण्डल.....

वन परिक्षेत्र .....

रोपण स्थल का नाम.....

खसरा/कक्ष क्रमांक .....

योजना का नाम .....

रोपण वर्ष .....

रोपित क्षेत्रफल (हेक्टेयर) .....

गणना करने वाले का नाम व पदनाम .....

गणना अवधि .....से .....तक

कतार क्रमांक	पौधे की स्थिति				प्रत्येक 10 वें पौधें की ऊँचाई
	क्रमांक	प्रजाति	जीवित	मृत	
1	2	3	4	5	6

गणना करने वाले के हस्ताक्षर

अनुलग्नक--2

जीवित पौधों की गिनती का प्रतिवेदन

वनमण्डल	वन परिक्षेत्र	रोपण स्थल का विवरण	योजना	रोपण वर्ष	रोपित क्षेत्रफल (हेक्टे)	रोपित पौधों की संख्या	जीवित पौधों की संख्या	जीवित प्रतिशत	पौधों की औसत ऊँचाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल .....

टीपः–

1. कालम 9 में जीवित प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कालम 8 की संख्या को कालम 7 की संख्या से भाग दें तथा भागफल को 100 से गुणा करें ।
2. कालम 10 में औसत ऊँचाई ज्ञात करने के लिए अनुलग्नक–1 के कालम 6 के प्रजातिवार सभी पौधों की ऊँचाई को जोड़ कर उसका औसत निकाला जाए ।

वृक्षारोपण क्षेत्र में रोपित पौधों की गणना का नमूना चित्र

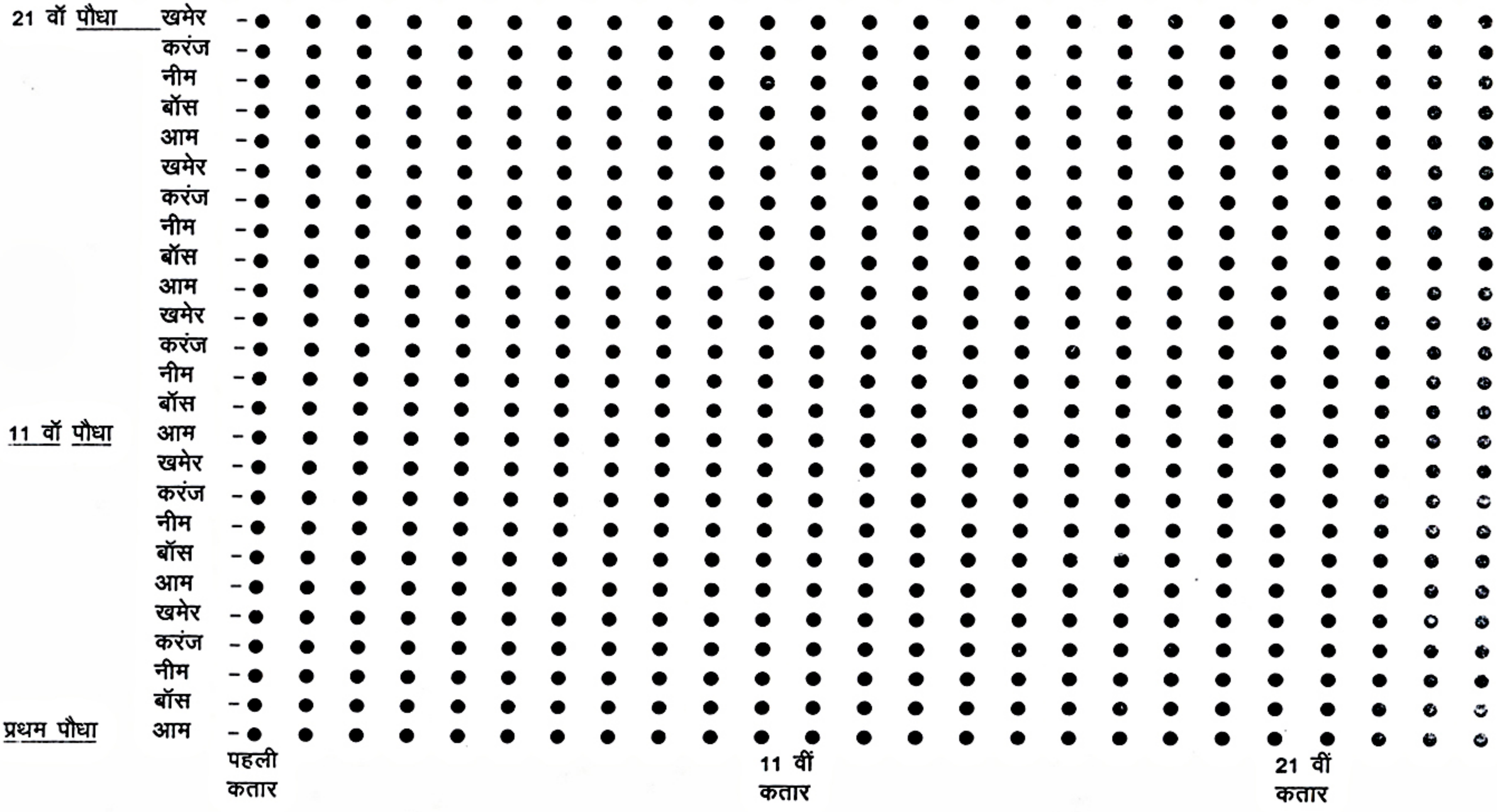

भरा हुआ नमूना अनुलग्नक--1

वन वृत्त – भोपाल

वनमण्डल – भोपाल

वन परिक्षेत्र – बैरसिया

रोपण स्थल का नाम – ग्राम रानीपुर की गैर वनभूमि

खसरा/कक्ष क्रमांक – 105

योजना का नाम – रामनगर जलाशय में प्राप्त गैर वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण

रोपण वर्ष –2010

रोपित क्षेत्रफल (हेक्टेयर) – 10 हेक्टेयर

गणना करने वाले का नाम व पदनाम – श्री हीरालाल वन रक्षक गणना अवधि 02–04–2010 से 07–04–2010 तक

कतार क्रमांक	पौधे की स्थिति				प्रत्येक 10 वें पौधें की ऊँचाई
	क्रमांक	प्रजाति	जीवित	मृत	
1	2	3	4	5	6
पहली	1	आम	√		5 फीट
	2	नीम	√		
	3	करंज	√		
	4	खमेर	√		
	5	बांस	√		
	6	ऑवला	√		
	7	नीम	√		
	8	करंज	√		
	9	खमेर		√	
	10	बांस		√	
	11	ऑवला	√		6 फीट
	12	नीम	√		
	13	करंज	√		
	14	खमेर	√		
	15	बांस	√		
	16	ऑवला	√		
	17	नीम		√	
	18	करंज	√		
	19	खमेर	√		
	20	बांस	√		
11वीं	1	ऑवला	√		6 फीट
	2	नीम		√	
	3	करंज	√		
	4	खमेर	√		
	5	बांस	√		
	6	ऑवला	√		
	7	नीम		√	
	8	करंज	√		
	9	खमेर	√		
	10	बांस	√		
	11	नीम	√		5 फीट

गणना करने वाले के हस्ताक्षर